सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2011/00023(95/2011) दर्ज तिथिः–29.04.2011

1. रूपादेवी पुत्री घमण्डाराम पत्नी नारणाराम
   जाति विश्नोई निवासी कोजा हाल निवासी देशान्तरी नाडी नगर तहसील गुड़ामालानी
   .....वादी

बनाम

1. वगताराम पुत्र जोगाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 हेमा पुत्र वगता फौत के कायम मुकाम
   1/1/1 खिवणी पत्नी हेमा
   1/2 हरीराम पुत्र वगता
   1/3 लाछी पत्नी वगता
2. बुधराराम पुत्र जोगाराम फौत के कायम मुकाम
   2/1 लाधूराम पुत्र बुधराराम
   2/2 मु. सोनी पत्नी बुधराराम
3. पोकराराम पुत्र जोगाराम फौत के वारीसान
   3/1 सदराम पुत्र पोकरराम फौत के वारीसान
   3/1/1 किशनाराम पुत्र सदराम
   3/1/2 भागीरथ पुत्र सदराम
   3/1/3 जैकनराम पुत्र सदराम
   3/1/4 बबरी पत्नी सदराम
   3/2 रूगनाथराम पुत्र पोकराराम
   3/3 जगमालराम पुत्र पोकराराम
   3/4 नैनाराम पुत्र पोकराराम
4. फगलूराम पुत्र जोगाराम
5. ठाकराराम पुत्र जोगाराम फौत के वारिसान
   5/1 सुखराम पुत्र ठाकराराम
   5/2 जगमालराम पुत्र ठाकराराम
   5/3 भाखराराम पुत्र ठाकराराम
   5/4 मंगलाराम पुत्र ठाकराराम
   5/5 मु. चंपा बेवा ठाकराराम
6. प्रहलादराम पुत्र उम्मेदाराम
7. तेजाराम पुत्र नारणाराम
8. हीराराम पुत्र नारणाराम
9. मोटाराम पुत्र नारणाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

10. सोनाराम पुत्र हुकमाराम
11. धन्नाराम पुत्र हुकमाराम
12. मोटाराम पुत्र हुकमाराम
13. सुरताराम पुत्र हुकमाराम
14. जोधाराम पुत्र हुकमाराम
15. जगमलाराम पुत्र हुकमाराम
16. लाधूराम पुत्र हुकमाराम
17. मु. पार्वती बेवा हुकमाराम
18. सुरताराम पुत्र पोकराराम
19. गोरधनराम पुत्र पोकराराम
20. हरीराम पुत्र पोकराराम
21. देवाराम पुत्र पोकराराम
22. साजनराम पुत्र पोकराराम
23. केसाराम पुत्र पोकराराम
24. हेमाराम पुत्र हरजीराम
25. हरीराम पुत्र भारमलराम
26. किशनाराम पुत्र भारमलराम
27. प्रभूराम पुत्र भारमलराम
28. भाखराराम पुत्र भारमलराम
29. मु. लाछी बेवा भारमलराम
    जातियान विश्नोई निवासी कुम्हारो की बेरी व पूजाबेरी तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

30. शाखा प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 शाखा भूणिया तहसील चौहटन
31. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीः—श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—30.03.2026

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः—
    - कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 एक ही खानदान से है। जिसके पूर्वज जोगाराम है। वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के हिन्दु होने के कारण विरासत के प्रकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 से शासित होते है। उक्त हिन्दु परिवार का वंशवृक्ष निम्नानुसार है—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

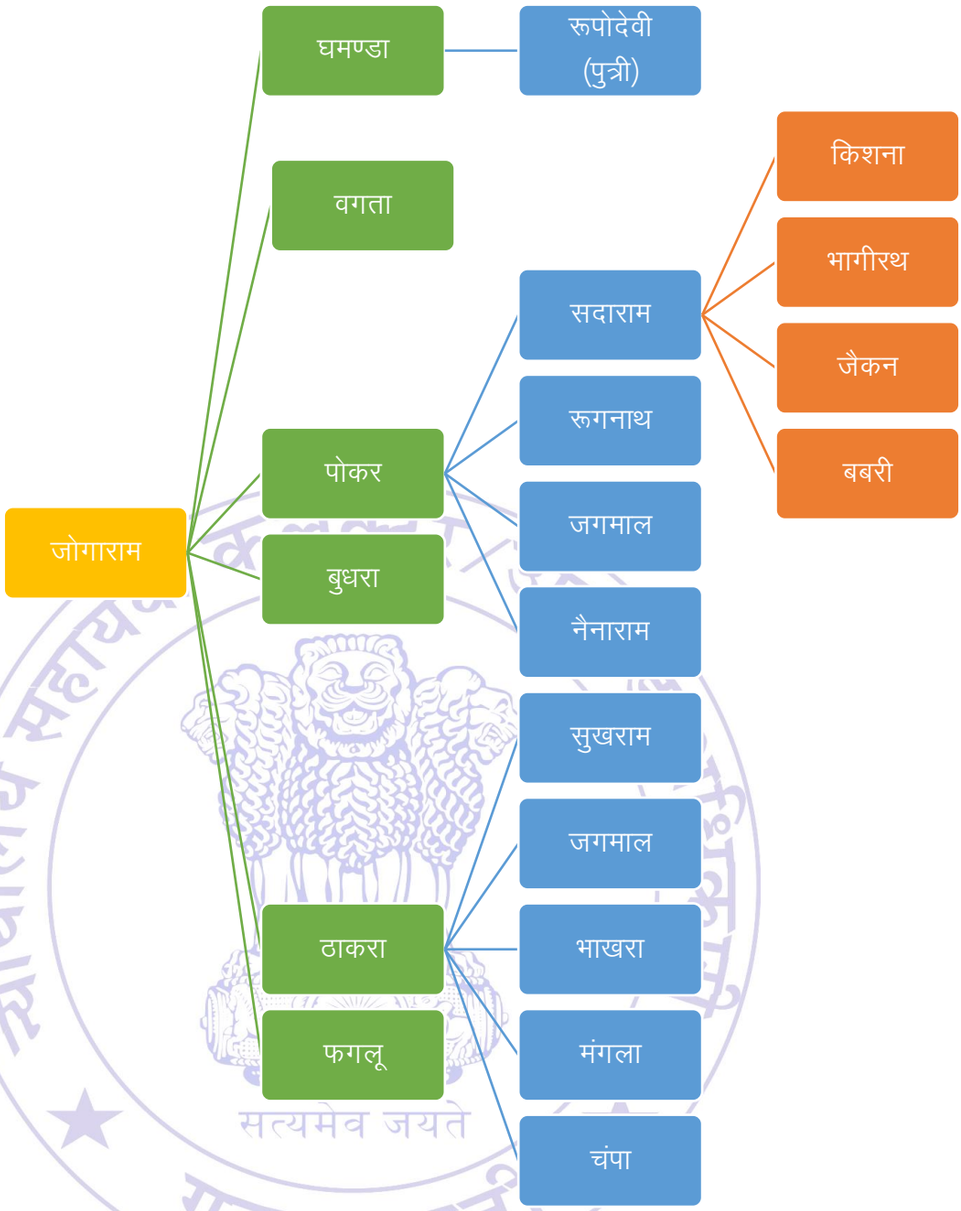

- वादीनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित खातेदारी आराजी ग्राम कोजा तहसील धोरीमना व ग्राम पूंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। जिसका भूप्रबंध निम्नानुसार खातेदारी में दर्ज हुआ।

नाम ग्राम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में.)	खातेदार
कोजा	139	11–18	जोगा पुत्र लक्ष्मणा
	203	93–09	
	221	66–10	
	219	0–06	
	220	01–00	
	कुल	173–03	
पूंजाबेरी	111	16–08	जोगा पुत्र लक्ष्मणा
	69	10–04	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

	95	32–19	
	97	19–10	
	कुल	79–01	
	28	124–04	जोगा पुत्र लक्ष्मणा
	40	75–00	जोगा, गणेशा पिता लक्ष्मणा
	26	02–10	जोगा पुत्र लक्ष्मणा, प्रहलाद पुत्र उम्मेदा, बगता पुत्र जोगा
	25	0–19	
	कुल	03–09	

- कि भू–प्रबंध के द्वारा मुतनाजा आराजी के दर्ज रिकॉर्ड खातेदार स्व0 जोगा पुत्र लक्ष्मणा वादीनी के सगे दादा थे। स्व0 जोगा के सहखातेदार स्व0 गणेशा वादिनी के दादा जोगा के सगे भाई थे। जो केवल खसरा संख्या 40 मौजा पूंजाबेरी में 1/2 हिस्से के खतेदार थे। जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 07 से 29 है। जिसको लेकर वादिनी को कोई विवाद व अनुतोष नहीं है।
- इसी प्रकार खसरा संख्या 26 व 25 मौजा पूंजाबेरी में सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 06 प्रहलाद भी रेकर्डेड खातेदार है। जिसको लेकर वादिनी को कोई विवाद व अनुतोष नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 06 से 29 औपचारिक पक्षकार है।
- कि वादिनी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 स्व0 जोगा के पुत्र है। वादिनी स्व0 जोगा की पौत्री एवं स्व0 घमण्डा की जायंदा पुत्री है। मुतनाजा आराजी वक्त बंदोबस्त जोगा पुत्र लक्ष्मणा के कब्जे काश्त की आराजी थी। इस वजह से वक्त बंदोबस्त जोगा पुत्र लक्ष्मणा के नाम पर्चा लगान जारी किया जाकर खतौनी बंदोबस्त में नाम दर्ज किया गया।
- कि जोगा पुत्र लक्ष्मणा के 06 पुत्र घमण्डा, वगता, पोकर, बुधरा, ठाकरा व फगलू थे। घमण्डा वल्द जोगा के कोई पुत्र नहीं था। घमण्डा वल्द जोगा के केवल वादी रूपादेवी ही पुत्री के रूप में वारिस थी। घमण्डा वल्द जोगा की फौत जोगा वल्द लक्ष्मणा के जीवनकाल में ही हो गई थी।
- कि वादी की शादी हो जाने के पश्चात वादी अपने पति के साथ ससुराल चली गई। परंतु वादी का अपने मायका में आना जाना था तथा वादी अपने चाचा पोकराराम के यहां रहती थी। पोकराराम ने ही वादी की शादी की थी। पोकराराम व चाचा ठाकराराम ने वादी को आश्वासन दिया था कि उक्त पैतृक आराजी में वादी का हिस्सा अंकित करवा दिया जाएगा। परंतु पोकराराम व ठाकराराम का देहांत हो जाने के पश्चात वादी को अपना अधिकार नहीं मिल पाया।
- कि बंदोबस्त के पश्चात जोगा पुत्र लक्ष्मणा के देहांत होने पर विरासत का नामान्तरण जोगा वल्द लक्ष्मणा के पांच पुत्रों वगता, पोकर, बुधरा, ठाकरा व फगलू के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार जोगा वल्द लक्ष्मणा की विरासत उसके पूर्व फौत पुत्र घमण्डा के विधिक वारिस वादी को छोड़ते हुए शेष पांच पुत्रों के नाम दर्ज किया गया। जबकि वादी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

- कि मुतनाजा आराजी के मूल खातेदार जोगा वल्द लक्ष्मणा के पूर्व फौत पुत्र घमण्डा की जायंदा पुत्री होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने के आधार पर मुतनाजा आराजी में 1/6 हिस्से की सहखातेदार अधिकार रखती है।
- कि मुतनाजा आराजी ग्राम कोजा व नवसृजित गांव कुम्हारों की बेरी तहसील धोरीमना तथा गांव पुंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। हालांकि तहसील धोरीमना का पृथक से राजस्व न्यायालय है। परंतु काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत हाजा न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने के कारण संपूर्ण आराजी का दावा न्यायालय में प्रस्तुत है।
- कि वादी की उक्त घोषित आराजी को शेष प्रतिवादीगण से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजित किया जाकर प्रतिवादीगण को वादी की घोषित आराजी पर दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
- कि वादीगण के उक्त आधारों पर निम्न अनुतोष निवेदित हैः–
    1. उक्त खसरा संख्या 40 रकबा 75 बीघा में वादी को 1/12 हिस्से की घोषणा करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया जावे।
    2. उक्त खसरा संख्या 25 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 26 रकबा 02–10 बीघा कुल रकबा 03–09 बीघा में वादी को 1/18 हिस्से की घोषणा करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया जावे।
    3. उक्त खसरा संख्या 203, 221, 219, 220 मौजा कुम्हारों की बेरी तहसील धोरीमना रकबा 161–05 बीघा में वादी को 1/06 हिस्से की घोषणा करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया जावे।
    4. उक्त खसरा संख्या 160/28, 69 मौजा पुंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी रकबा 133–13 बीघा तथा खसरा संख्या 95, 97, 111 रकबा 68–17 बीघा में वादी को 1/06 हिस्से की घोषणा करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया जावे।
    5. उक्त घोषणा के पश्चात् वादी का हिस्सा अनुसार शेष प्रतिवादीगण से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पृथक किया जावे।
    6. वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
    7. अन्य अनुतोष।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 ने वादीगण के दावा का जवाब प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा पेश कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः–
    - कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद में सजरा गलत प्रस्तुत किया गया है। वादीनी जोगाराम के परिवार की सदस्या नहीं है। घमण्डा का देहांत अल्पायु में ही अविवाहित रहते हुए हो गया था। इस कारण वादी का घमण्डा की पुत्री होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। वादी द्वारा अपने दावा में यह नहीं बताया है कि घमण्डा का विवाह किसके साथ हुआ तथा वादी का जन्म कब हुआ, वादी की माता कौन थी। इस प्रकार वादी द्वारा कोई सारवान तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीनी उमाराम की वारिस नहीं है तथा वादी जोगाराम की वारिस नहीं होने से संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं है। वादीनी का मुतनाजा आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वादीनी का कब्जा काश्त नहीं होने से मुतनाजा आराजी में दखलअंदाजी करने का कथन निराधार एवं मनगढत है। वादीनी द्वारा मनगढत तथ्यों के आधार पर अपने आप को गलत वारिस बताकर उक्त दावा प्रस्तुत किया है। जो काबिल–ए–खारिज है।
- कि वादीनी द्वारा अपने वादपत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे कि वादीनी उमाराम की विधिक वारिस साबित हो सके। वादीनी का वाद बनावटी तथ्यों पर आधारित होने से काबिल–ए–खारिज है।

3. प्रकरण में वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गयेः–

1. आया वादीनी मौजा पूंजाबेरी के खत खसरा संख्या 160/28 व 69 संयुक्त रकबा 133–13 बीघा व मौजा भांभुओं का वासके खसरा संख्या 95, 97 व 111 संयुक्त रकबा 68–17 बीघा में 1/6 हिस्सा एवं ग्राम पूंजाबेरी के खसरा संख्या 40 रकबा 75 बीघा में 1/12 हिस्सा व खसरा संख्या 25 व 26 संयुक्त रकबा 3–09 बीघा में 1/18 हिस्सा की घोषणा व प्रतिवादीगण से बाई मीटस एण्ड बाउण्ड विभाजित करवाकर पृथक खाता कायम करवाने की अधिकारी है।

.....वादी

2. आया वादीनी मौजा कौजा, कुम्हारों की बेरी के अविभाजित खसरा संख्या 203, 221, 219, 220 से विभाजित खसरा संख्या 203, 203/1, 203/2, 203/3, 221/1, 221/3, 221/4 व 219 व 220 को संयुक्त कर इस आराजी के रद्दोबदल व नामान्तरण शुन्य करार देकर समस्त रकबा 161–05 बीघा में 1/6 हिस्से घोषणा की घोषणा व प्रतिवादीगण से बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजित करवाकर पृथक खाता कायम करवाने की अधिकारी है?

.....वादी

3. आया वादीनी उक्त वादग्रस्त खसरों की भूमि में इसी प्रकार मौके पर कब्जा–काश्त व हिस्से अनुसार वाद घोषणा व विभाजन विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

.....वादी

4. आया प्रतिवादी, वादीनी रूपोदेवी स्व जोगाराम के पुत्र घमण्डा की जाईन्दा पुत्री नहीं है। घमण्डा ला–औलाद फौत हुआ था। वादीनी जोगाराम की उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उक्त वादग्रस्त आराजी में खातेदारी पाने की अधिकारी नहीं होने से वाद खारिज करवाने के अधिकारी है?

.....प्रतिवादी संख्या 02 ता 05

5. अन्य दादरसी

.....उभय–पक्षकारान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	ग्राम भांभुओ का वास खाता संख्या 42	प्रदर्श–01
जमाबंदी	ग्राम पूंजाबेरी खाता संख्या 35	प्रदर्श–02
जमाबंदी	ग्राम पूंजाबेरी खाता संख्या 36 व 37	प्रदर्श–03
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 62	प्रदर्श–04
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 63 ग्राम पूंजाबेरी	प्रदर्श–05
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 63 ग्राम पूंजाबेरी	प्रदर्श–06
खतौनी बंदोबस्त	खतौनी बंदोबस्त संवत 2012–2031 के खाता संख्या 23 व 24	प्रदर्श–07
जमाबंदी	जमाबंदी संवत 2012–2031 कुम्हारों की बेरी खाता संख्या 31, 35	प्रदर्श–08
जमाबंदी	मौजा कुम्हारो की बेरी खाता संख्या 44, 6, 41	प्रदर्श–09
जमाबंदी	मौजा कुम्हारो की बेरी खाता संख्या 88	प्रदर्श–10
जमाबंदी	मौजा कुम्हारों की बेरी खाता संख्या 48	प्रदर्श–11
नामान्तरकरण	नामान्तरकरण संख्या 189 ग्राम कोजा	प्रदर्श–12
नामान्तरकरण	नामान्तरकरण संख्या 197 ग्राम कोजा	प्रदर्श–13
जमाबंदी	मौजा कोजा खतौनी बंदोबस्त संवत 2012–2031	प्रदर्श–14
भामाशाह कार्ड	वादिनी का भामाशाह कार्ड	प्रदर्श–15

7. प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
रूपादेवी पुत्री घमण्डाराम पत्नी नारणाराम	विश्नोई	कुम्हारो की बेरी, कोजा	पी0डब्ल्यू0–1
गोरखाराम पुत्र नारणाराम	विश्नोई	देशान्तरी नाडी, नगर	पी0डब्ल्यू0–2
नारणाराम पुत्र ठाकराराम	विश्नाई	देशान्तरी नाडी	पी0डब्ल्यू0–03

8. प्रकरण में रूपादेवी पुत्री घमण्डाराम पी.डब्ल्यू.–01, गोरखाराम पुत्र नारणाराम पी0डब्ल्यू0–2, नारणाराम पुत्र ठाकराराम पी0डब्ल्यू0–3 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- कि वादिनी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पुश्तैनी व पैतृक वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 139 रकबा 11–18 बीघा, खसरा संख्या 203 रकबा 93–09 बीघा, खसरा संख्या 221 रकबा 66–10 बीघा, खसरा संख्या 219 रकबा 0–06 बीघा, खसरा संख्या 220 रकबा 01–00 बीघा, कुल रकबा 173–03 बीघा मौजा कोजा पटवार मण्डल कोजा तहसील धोरीमना तथा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 111 रकबा 16–08 बीघा, खसरा संख्या 69

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 10–04 बीघा, खसरा संख्या 95 रकबा 32–19 बीघा, खसरा संख्या 97 रकबा 19–10 बीघा कुल रकबा 79–01 बीघा व खसरा संख्या 28 रकबा 124–04 बीघा की संपूर्ण भूमि वक्त भू–प्रबन्ध वादिनी के दादा जोगाराम पुत्र लछमाणाराम व खसरा संख्या 40 रकबा 75–00 बीघा का भू–प्रबंध वादिनी के दादा व दादा के सगे भाई गणेशा के नाम व खसरा संख्या 26 रकबा 02–10 बीघा, खसरा संख्या 25 रकबा 0–19 बीघा का भू–प्रबंध वादिनी के दादा के साथ प्रहलाद पुत्र उम्मेदा, वगता पुत्र जोगा के नाम से हुआ। उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक आराजी है।

- कि वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 समस्त के जोगाराम के वंशज है। जोगाराम के छः जाइन्दा पुत्र क्रमशः घमण्डा, वगता, पोकर, बुधरा, ठाकरा, फगलू थे। वादिनी स्व0 जोगाराम के पुत्र घमण्डाराम की जाइन्दा पुत्री है। घमण्डाराम का देहांत स्व0 जोगाराम के जीवनकाल में ही हो गया था। वादिनी जोगाराम की वारिस होने से संयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्या है।
- कि वादिनी के दादा जोगाराम का जब स्वर्गवास हुआ तब उनकी फौतगी का नामान्तरकरण स्व0 जोगाराम के जीवित पांच पुत्रों के नाम ही खोला गया। जबकि वादिनी जोगाराम से पूर्व देहांत हो चुके पुत्र घमण्डाराम की पुत्री होने के कारण वादिनी का नाम स्व0 जोगाराम की विरासत के नामान्तरकरण में दर्ज होना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं किया गया। विधि अनुसार वादिनी स्व0 जोगाराम की खातेदारी जोत में खातेदार है।
- कि जोगा पुत्र लक्ष्मणा के 06 पुत्र घमण्डा, वगता, पोकर, बुधरा, ठाकरा व फगलू थे। घमण्डा वल्द जोगा के कोई पुत्र नहीं था। घमण्डा वल्द जोगा के केवल वादी रूपादेवी ही पुत्री के रूप में वारिस थी। घमण्डा वल्द जोगा की फौत जोगा वल्द लक्ष्मणा के जीवनकाल में ही हो गई थी।
- कि वादी की शादी हो जाने के पश्चात वादी अपने पति के साथ ससुराल चली गई। परंतु वादी का अपने मायका में आना जाना था तथा वादी अपने चाचा पोकराराम के यहां रहती थी। पोकराराम ने ही वादी की शादी की थी। पोकराराम व चाचा ठाकराराम ने वादी को आश्वासन दिया था कि उक्त पैतृक आराजी में वादी का हिस्सा अंकित करवा दिया जाएगा। परंतु पोकराराम व ठाकराराम का देहांत हो जाने के पश्चात वादी को अपना अधिकार नहीं मिल पाया।
- कि बंदोबस्त के पश्चात जोगा पुत्र लक्ष्मणा के देहांत होने पर विरासत का नामान्तरण जोगा वल्द लक्ष्मणा के पांच पुत्रों वगता, पोकर, बुधरा, ठाकरा व फगलू के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार जोगा वल्द लक्ष्मणा की विरासत उसके पूर्व फौत पुत्र घमण्डा के विधिक वारिस वादी को छोड़ते हुए शेष पांच पुत्रों के नाम दर्ज किया गया। जबकि वादी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस है।
- कि वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 139 रकबा 11–18 बीघा, खसरा संख्या 203 रकबा 93–09 बीघा, खसरा संख्या 221 रकबा 66–10 बीघा, खसरा संख्या 219 रकबा 0–06 बीघा, खसरा संख्या 220 रकबा 01–00 बीघा, कुल रकबा 173–03 बीघा मौजा कोजा पटवार मण्डल कोजा तहसील धोरीमना से विभक्त वर्तमान ग्राम कुम्हारों की बेरी के खसरा संख्या 203/1 रकबा 32–00 बीघा, खसरा संख्या 203/2 रकबा 25–00 बीघा,

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 221/1 रकबा 07–00 बीघा, खसरा संख्या 203/3 रकबा 15–00 बीघा खसरा संख्या 221/2 रकबा 17–00 बीघा, खसरा संख्या 213 रकबा 0–06 बीघा, खसरा संख्या 203 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 221/3 रकबा 22 बीघा, खसरा संख्या 221/4 रकबा 31–19 बीघा, 220 रकबा 01–00 बीघा संयुक्त कर इस आराजी के रद्दोबल व नामान्तरणकरण शुन्य घोषित कर ग्राम पूंजाबेरी के खसरा संख्या 160/28 रकबा 123–09 बीघा, खसरा संख्या 69 रकबा 10–04 बीघा, एवं ग्राम भांभूओं का वास खसरा संख्या 95 रकबा 32–19 बीघा, खसरा संख्या 97 रकबा 19–10 बीघा, खसरा संख्या 111 रकबा 06–08 बीघा में वादिनी को 1/6 हिस्सा, ग्राम पूंजाबेरी के खसरा संख्या 40 रकबा 75 बीघा में वादिनी को 1/12 हिस्सा एवं ग्राम पूंजाबेरी के खसरा संख्या 25 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 26 रकबा 02–10 बीघा में वादिनी का 1/18 हिस्से की खातेदार घोषित किया जावे। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादिनी के प्रतिकूल रद्दोबल व नामानतरकरण शून्य किया जावे।

- कि वादिनी के दादा स्व0 जोगाराम के स्वर्गवास के समय जोगाराम के नाम पर जो खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उसमें वादिनी को प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एव उसके वारिसानों के साथ सहखातेदार घोषित कर वादिनी का हिस्सा बाई मीट्स बाइ बाउण्ड खाता पृथक कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एवं उसके वारिसान को वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करे इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

9. प्रकरण में रूपोदेवी पुत्री घमण्डाराम पी.डब्ल्यू.–01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि मैं नगर में रहती हूं। मुझे कोर्ट में यह दावा किये 4–5 साल हुए है। यह दावा मैंने बाड़मेर कोर्ट में किया था। मैं इस दावा के संबंध में गुड़ामालानी कोर्ट में तीन बार आई हूं। घमण्डाराम के फौत के वक्त 20 वर्ष के थे। जोगाराम 60–70 वर्ष की उम्र में फौत हुए थे। घमण्डाराम किस तिथीवार सन को फौत हुए मुझे याद नहीं। जोगाराम किस तिथी सन को फौत हुए मुझे तारीख पता नहीं। घमण्डाराम के फौत होने के तीस वर्ष पश्चात जोगा की मृत्यु हुई थी। उक्त वादग्रस्त आराजी 2 गांवो की है। पूंजाबेरी, कोजा की है। चार पांच जगह खेत है। 50–60 बीघा जमीन है। खसरा याद नहीं है। पूंजाबेरी की जमीन 40–50 बीघा है। कोजा में 30 बीघा जमीन है। घमण्डा का देहान्त हुआ तब में पूंजाबेरी में रहती थी। घमण्डाराम फौत हुआ तब मैं दो वर्ष की थी। उक्त जमीन में मेरे हिस्से में कितनी भूमि आती है। मुझे पता नही। जोगाराम फौत हुए तब मैं नगर निवास करती थी। जोगाराम फौत हुए तब घमण्डा, वगता, पोकर, बुधरा, ठाकरा, फगलू के नाम नामान्तरकरण हुआ तब मैंने कोई उरज एतराज नहीं किया। कोजा व पूंजाबेरी की जमीन में मेरा कब्जा काश्त नहीं है। पहले मेरा नाम था। उक्त गवाह के शपथ पत्र में मेरे 4–5 जगह अंगूठा निशान किये है। दावा के साथ कौन–कौन से दस्तावेज पेश किये है। मुझे याद नहीं है। मेरे वकील ने दस्तावेज पेश किये है। गवाह का शपथ पत्र किस तारीख को पेश किया मुझे याद नहीं। गवाह का शपथ पत्र मेरे वकील साहब ने पेश किया था। शपथ पत्र पर मेरी पहचान किसने दी मैं पढ़ी नहीं हूं। मुझे पता नहीं। शपथ पत्र किसने तस्दीक किया मुझे पता नहीं। ग्राम भांभुओ का वास में मेरी जमीन है। ग्राम भांभुओ का वास की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी दावा के साथ पेश की है। ग्राम भांभुओ का वास की जमीन का विवाद चल रहा है। ये बात गलत है कि घमण्डाराम ने विवाह नही किया हो। कम उम्र में नहीं गुजर गये है। ये बात गलत है कि मैं घमण्डाराम की पुत्री नहीं हूं तथा मैंने झूठा दावा पेश किया है।

10. प्रकरण में नारणाराम पुत्र ठाकराराम पी.डब्ल्यू.–3 ने रूपा मेरी पत्नी है ये बात सही है कि इस पत्रावली में सारी कार्यवाही मेरी देखरेख में होती है। ये कागज मुझे कोर्ट में पेश किये 2–3 साल हो गए है तारीख याद नहीं है। कागज किसी तारीख को लिखाया याद नहीं है मैं अनपढ़ हूं। खसरा संख्या पत्रावली में लिखे हुए है मुझे याद नहीं है। कितने बीघा है याद नहीं है 60 बीघा बंट आता है। गांव पूंजाबेरी व कोजा में है। ये कागज मुझ वकील साहब के पास लिखवाया। वकील साहब ने खुद लिखा था। मैंने अंगूठा दिया। दो–तीन जगह अंगूठा दिया हुआ है। अंगूठा आपके सामने दिया आप धीरजी के बेटा हो। मैंने मेरें वकील के सामने अंगूठे नही दिये। अजखुद कहा मैंने आपके व मेरे वकील के सामने अंगूठे दिये मेरा गांव नगर है रूपा मेरे साथ रहती है। शपथपत्र में चार पांच पन्ने है। ये बात गलत है कि इस प्रकरण के विवादग्रस्त खेतों में मेरा जाने का काम नही पड़ा हो। 2–3 साल पहले गया था। पूंजाबेरी खेत में खेजड़ी घनी है मैने गिनी नही है। यह दावा 10 सालो से चल रहा है। शपथ–पत्र देखकर मैंने बताया कि इस शपथ–पत्र पर वकील के हसताक्षर नहीं है। ये बात सही है आज पेशी थी वकील ने आने का कहा इसलिए में कोर्ट में आया। इस शपथ पत्र में क्या लिखा है। मैं पढ़ा हुआ नही हूं। दावा किसने किया है मुझे याद नहीं है। दो जगह खेत है। खसरा दावा में लिखे हुए है। इससे पहले में 4–5 बार कोर्ट आया हू। ये सभी कागज लाकर वकील साहब को मैने दिये मेरे कहने से ये दावा वकील साहब ने कोर्ट में किया है। जमाबंदी मैंने लाकर दी। मेरी पत्नी रूपोदेवी इस कोर्ट में 2 बार आई थी। 2 बार के अलावा कभी नही आई। ये बात सही है हमे खेत चाहिए इसलिए ये दावा किया। ये बात गलत है कि ये दावा किसी के कहने से किया हो। ये बात गलत है कि ये दावा मैंने अकेले आकर किया। मेरी पत्नी के साथ आकर दावा किया था। ये बात गलत है कि दावा किया तब में कोर्ट में नहीं आया। रूपा की मां का क्या नाम है। मुझे याद नहीं है। ये बात सही कि मैंने शपथ पत्र के पांच पृष्ठ बताए थे। इस शपथ पत्र में 9 पैरा है।

11. प्रकरण में वादी साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत नही कर सीधे साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
नैनाराम पुत्र पोकराराम	विश्नोई	कुम्हारों की बेरी, कोजा	डी0डब्ल्यू0–01
रामलाल पुत्र सुखराम	विश्नोई	कुकणों की ढाणी, आलपुरा	डी0डब्ल्यू0–02
गंगाराम पुत्र फगलूराम	विश्नोई	कूकणों की ढाणी	डी0डब्ल्यू0–03
पुनमसिंह पुत्र आसुसिंह	राजपुत	पुंजाबेरी	डी0डब्ल्यू0–04
देरामाराम पुत्र गोरधनराम	सुथार	कुम्हारो की बेरी	डी0डब्ल्यू0–05

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

12. प्रकरण में नैनाराम पुत्र पोकराराम डी0डब्ल्यू0–01, रामलाल पुत्र सुखराम डी0डब्ल्यू0–3, गंगाराम पुत्र फगलूराम डी0 डब्ल्यू–03, पुनमसिंह पुत्र आसुसिंह डी0डब्ल्यू–04, देरामाराम पुत्र गोरधनराम डी0 डब्ल्यू–05 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- कि प्रतिवादीगण के दादा जोगाराम पुत्र लिछमणा के नाम का संयुक्त खातेदारी खेत प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम की मौजा कोजा खेत खसरा संख्या 139, 203, 221, 219, 220 रकबा क्रमशः 11–18 बीघा, 93–09 बीघा, 66–10 बीघा, 0–06 बीघा, 01–00 बीघा कुल रकबा 173–03 बीघा एवं मौजा पुंजाबेरी के खेत खसरा संख्या 111, 69, 95, 97 रकबा क्रमशः 16–08 बीघा, 10–04 बीघा, 32–19 बीघा, 19–10 बीघा कुल 79–01 बीघा खसा संख्या 28 रकबा 124–09 बीघा की उक्त आराजी प्रतिवादीगण के दादा जोगाराम की स्वअर्जित भूमि थी। मौजा पूंजाबेरी खेत खसरा संख्या 40 रकबा 75–00 बीघा में प्रतिवादी के दादा का 1/2 हिस्सा एवं खसरा संख्या 25 व 26 रकबा क्रमशः 2–10 बीघा, 0–19 बीघा में प्रतिवादी के दादा जोगाराम का 1/3 हिस्सा था।
- प्रतिवादी नैनाराम चार भाई है। मुतनाजा आराजी मौजा कुम्हारो की बेरी, कोजा की संपूर्ण आराजी में फेमिली सेटलमेंट दिनांक 09.10.1974 से बंटवाडा प्रतिवादी नैनाराम पिता पोकर, काका एवं ताउ वगता, बुधरा, फगलू, ठाकरा के नाम भाईयों बंट में किसी के 32 बीघा किसी के 32–19 बीघा शेष प्रतिवादी नैनाराम के दादा जोगाराम के पास खसरा संख्या 139 रकबा 11–17 बीघा थी।
- कि प्रतिवादी नैनाराम के दादा जोगाराम के कुल छः पुत्र वगता, पोकर, बुधरा, ठाकरा, फगलू व घमण्डा थे। घमण्डा कम उम्र में अविवाहित ही प्रतिवादी के दादा जोगाराम से पूर्व फौत हो गया। प्रतिवादी के दादा जोगाराम की फौतगी का नामान्तकरण जोगाराम की जीवित संतान वगता, पोकरा, बुघरा, ठाकरा व फगलू के नाम से दर्ज किया गया। तब से सभी भाईयों के बीच में बहामी बंटवारा तौर अलग–अलग खाते खुले हुए है।
- कि प्रतिवादी नैनाराम के चाचा घमण्डा जो प्रतिवादी नैनाराम के जन्म से पूर्व ही अविवाहित फौत हो गए। घमण्डाराम अविवाहित फौत होने एवं कोई पत्नी नहीं होने से जोगाराम की फौतगी नामान्तरण में जोगाराम के मृतक बेटे घमण्डा की पत्नी का नाम फौतगी विरासत में नहीं आया। वादिनी रूपादेवी घमण्डा की संतान नहीं है। केवल भूमि की किमतो में बढ़ोतरी होने से बदनियत से जमीन हड़पने के उक्त वाद पेश किया है। रूपोदेवी नाम की महिला स्व0 जोगाराम की पुस्तैनी आराजी में निवासरत नहीं है।
- कि उक्त वादग्रस्त आराजी पुर्वपुरूष जोगाराम पुत्र लिछमणा की स्वअर्जित आराजी है। उक्त भूमि दो तहसीलो गुड़ामालानी व धोरीमना में है। स्व0 जोगाराम के जीवित रहते पारिवारिक बंटवाडा कर कुछ खसरों में पुत्रों के नाम से अलग–अलग खाते भी कायम कर दिये गये हे। जिस पर स्व0 जोगाराम की पीढ़ियां गुजन जाने के बाद अब परिवार बढ़ चुका है एवं अलग–अलग जगह पर अलग–अलग परिवार निवास कर रहे है। उक्त आराजी के संबंध में अलग–अलग खाते कायम हो रखे है। वादिनी रूपादेवी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

घमण्डाराम की संतान नहीं है उक्त वाद झूठा होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

13. प्रकरण में नैनाराम पुत्र पोकराराम डी0डब्ल्यू0–01 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मेरा गांव कुम्हारों की बेरी कोजा है। हमारी जमीन कुमहारों की बेरी व पूंजाबेरी में है। मेरा नाम नैनाराम हैं। मैं जोगाराम का पोता हूं। हम चार भाई हैं। मेरा वर्तमान निवास कोजा, कुमहारों की बेरी है। मेरी उम्र 60 वर्ष है। जोगाराम 1983 में फौत हुए थे। पोकराराम 2012 में फौत हुए थे। ठाकराराम के चार लड़के है। पोकराराम से उनके भाई घमण्डा राम बड़े थे। फगलूराम सबसे छोटा भाई था। फगलूराम अभी भी जीवित है। जोगाराम के ससुराल वालो को हमने देखा नहीं। घमण्डाराम सन 1937 में फौत हुए थे। घमण्डाराम फौत हुए तब मेरा जन्म नहीं हुआ था। मुझे याद नहीं है कि जोगाराम कितने साल के हाकर के फौत हुए। पोकराराम 80 वर्ष की उम्र होकर के फौत हुए। भूप्रबंध के समय भूमि की नपाई जोगाराम के नाम से हुई थी। पूंजाबेरी व कोजाबेरी का एक ही जागीरदार है। जोगराम फौत हुआ तब उनके जिंदा पांच लड़के थे। घमण्डाराम, जोगाराम से पहले फौत हो गए थे। जोगाराम की एक लड़की थी, जिसका नाम मीरा था। जोगाराम ने कोजा वाली जमीन अपने जीतेजी सन 1974 में अपने पुत्रों के नाम करवा दी थी। पूंजाबेरी वाली जमीन में आज भी मेरा हिस्सा है। मुझे पता नहीं है कि घमण्डाराम कब फौत हुए लेकिन मेरे दादा बात करते थे। घमण्डाराम की शादी की हुई थी मुझे पता नहीं, मेरे दादा बात करते थे कि शादी की हुई नहीं थी। यह बात सही है कि जोगाराम के फौत होने पर मृतक घमण्डाराम की पुत्री का भी हक बनता है। अज खुद कहा कि घमण्डाराम की पुत्री देखी नहीं। मुझे इस बात का पता नहीं है कि फौत होते ही लड़की का नाम चढ़ाते हो। यह कहना गलत है कि रूपों ने दावा किया और रूपाराम घमण्डाराम की पुत्री हो। भामाशाह कार्ड में महिला के माता–पिता का नाम हो सकता है। भामाशाह कार्ड सरकारी कागज है। यह बात सही है कि जैसे आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र है वैसे ही भामाशाह कार्ड है। यह बात गलत है कि रूपों जो घमण्डाराम की बेटी हो और उसको जमीन नहीं देनी हो।

14. प्रकरण में रामलाल पुत्र सुखराम डी0डब्ल्यू0–02 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मेरा निवास कुकणों की ढाणी, आलपुरा है। जोगाराम मेरे परदादा लगते हैं। जोगाराम सन् 1983 मे फोत हुए। मैं 7–8 साल का था। जोगाराम कौनसे स्थान पर फोत हुए मुझे पता नहीं । मुझे याद नहीं है कि जोगाराम कितने साल के होकर के फोत हुए । जोगाराम के छः लडके थे। जोगाराम के सबसे बडे लडके घमण्डाराम थे। घमण्डाराम कब फोत हुए मुझे पता नहीं लेकिन मेरे पिताजी कहते थे सन् 1937 में फोत हुए। मेरे पिताजी अभी जिन्दा हैं जिसकी उम्र 70 साल है। रूपो देवी ने दावा किया है यह बात सही है। मुझे पता नहीं है कि रूपों देवी की उम्र कितनी है। जोगाराम के छः लडके व एक लडकी थी जिसका नाम मीरा देवी था। यह बात सही है कि जोगाराम फोत हुए तब मीरा देवी का नाम नहीं आया तथा न ही रूपोंदेवी का आया। यह बात सही है कि किसी आसामी के फोत होने से पूर्व पुत्र फोत होता है तो पूर्व मृत पुत्र के पुत्र व पुत्री का नाम खाते में आता है। किसी महिला के भामाशाह कार्ड में उसके माता पिता का नाम आता है तो मुझे पता नहीं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

15. प्रकरण में गंगाराम पुत्र फगलूराम डी0डब्ल्यू0–03 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मेरा नाम गंगाराम है। मै दसवी तक पढा हुआ हुं। मेरा निवास आलपूरा है। आलपूरा की जमीन हमारे खरीदी हुई है। कोजा व पुजाबेरी की वादग्रस्त आराजी जोगाराम की पैतृक है। हम हिन्दू विधि से शासित है। जोगाराम ने किसी के पक्ष मे वसीयतनामा नहीं करवाया है। जोगाराम के छः लड़के थे। जोगाराम के सबसे बड़ा लड़का घमडा है। जोगाराम 1983 मे फौत हो गए। जोगाराम से पहले उनके पुत्र घमडाराम फौत हो गए। अजखुद कहा की फौत 1937 में हो गए। जोगाराम की फौत के समय मे 10–12 वर्ष का था। मेरा जन्म संवत् 2030 में हुआ। मेरी आज उम्र 50 वर्ष है। जोगाराम की फौत हुई तब मुझे पता है। घमडाराम की फौत हुई उसकी मेरे पिताजी बात करते थे कि दादाजी से पहले फौत हो गई। घमडाराम छोटी उम्र में चले गए। जोगाराम छोटी उम्र मे चले गए ये बात मै सुनी–सुनाई कह रहा हुं।

16. प्रकरण में पुनमसिंह पुत्र आसुसिंह डी0डब्ल्यू0–04 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि विवादित जमीन दो तहसील में है। एक गुड़ामालानी में है और एक धोरीमना में है। मुझे विवादित जमीन के खसरा संख्या याद नहीं है। पुंजाबेरी में 200 बीघा है और कुम्हारों की बेरी में पौने दौ सौ बीघा जमीन है। मेरे पिताजी बात करते थे जोगाराम 1983 में फौत हुए और जोगाराम के फौत से पहले उसका पुत्र घमण्डाराम फौत हो गया। घमण्डाराम 1937 में फौत हुए जो बुढ़िया बात करते थे। शपथ पत्र तीन पेज का है। शपथपत्र 17 मार्च 2025 को पेश किया गया। जोगाराम के पांच लड़के थे। दावे में छः लड़कों के बारे में लिखा गया है जो कि गलत लिखा गया है। इस परिवार के कई सदस्य कोजा कुम्हारों की बेरी रहते है। छः भाई थे। सभी भाईयों को मेरे देखे हुए नही है घमण्डाराम पहले चले गए थे। घमण्डाराम कहा रहता था मुझे पता नही। जोगाराम फौत हुए तब पांचों पुत्रों का नाम जमीन में आया। जोगाराम फौत हुए तब घमण्डाराम का नाम नही आया। जोगाराम फौत हुए तब उसके पांचो लड़के बैठे थे। जोगाराम कितने वर्ष के होके गए मुझे पता नहीं। जोगाराम के एक लड़की थी जिसका नाम मीरा था। जोगाराम के परिवार के आलपुरा में भी जमीन है। ग्राम आलपुरा जोगाराम के नाम से जमीन थी जोगाराम के फौत होने से यह जमीन उसके पांचों लड़कों के नाम हुई।

17. प्रकरण में देरामाराम पुत्र गोरधनराम डी0डब्ल्यू0–05 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि जोगाराम की मृत्यु 1983 में हुई थी। यह बात सही है कि जोगाराम की मृत्यु पूजाबेरी में हुई। यह बात सही है कि मेरा गांव कोजा है। यह बात सही है कि पूजाबेरी और कोजा के बीच में 35 किमी0 की दूरी है। मुझे बयान दिलवाने के लिए प्रतिवादी नैनाराम वगैरह लेकर आए हैं। यह बात झूठी है कि शपथ पत्र वकील साहब ने तैयार करवाया हो। जोगाराम के सबसे बडे लडके का नाम वगताराम था। घमण्डाराम सबसे छोटा जोगाराम का लडका था। घमण्डाराम का कोई लडका या लडकी थे तो मुझे पता नहीं अज खुद कहा कि घमण्डाराम 12 वर्ष की उम्र में गुजर गया था।

18. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने दावे के तथ्यों को दौहराते हुए दावा डिक्री करने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए दावा खारिज करने का निम्न प्रकार निवेदन किया–

- कि वादी घमण्डा की पुत्री नहीं है। असल में घमण्डा की अल्पायु में ही अविवाहित रहते हुए मृत्यु हो गई थी।
- कि तहसील धोरीमना की आराजी पर प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नहीं है।
- कि मुतनाजा आराजी स्व0 जोगाराम की स्वअर्जित आराजी है। जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 है।
- कि वादी अपने आप को घमण्डा की वारिस साबित करने में असफल रहीं है। वादी यह साबित नहीं कर सकी कि घमण्डा ने शादी कब की थी। घमण्डा की शादी कितने साल रही, शादी के कितने साल बाद वादी पैदा हुई। घमण्डा की पत्नी या वादी की माता का क्या नाम था। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हो जिसमे माता या पिता के बारे में जानकारी मिलती हो। वादी द्वारा माता का मायका या घमण्डा के ससुराल कहां थी इसके बारे में नहीं बताया है।
- कि वादी ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि घमण्डा की पत्नी घमण्डा के मरने के बाद कहां चली गई, मृत्यु हो गई या कही चली गई। वादी का लालन–पालन किसके घर में हुआ व वादी की शादी किसके घर से हुई। उक्त तथ्यों के बारे में वादी ने कुछ नहीं बताया है।
- कि फैमिली सेटलमेंट हो जाने के पश्चात पैतृक आराजी में दावा करने का अधिकार नहीं होता है। प्रकरण में भी फैमिली सेटलमेंट हो जाने के बाद वादी को कोई अधिकार नहीं है।
- वादी के अभिकथनों अनुसार वादी की उम्र, घमण्डा की उम्र, घमण्डा की मृत्यु का समय, जोगा की मृत्यु का समय का मेल नहीं होता है। इस कारण वादी के अभिकथन सारहीन है।
- कि प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत गवाहों के साक्ष्य प्रतिपरीक्षण से स्पष्ट है कि घमण्डा की शादी ही नहीं हुई थी। साथ ही वादी घमण्डा की पुत्री ही नहीं है।
- उक्त आधारों पर वादी घमण्डा की पुत्री नहीं है। अतः वादी का दावा खारिज किया जावे।

19. मैनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम तनकी संख्या 01, 02 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01, 02 निम्न प्रकार हैः–

    1. आया वादीनी मौजा पूंजाबेरी के खत खसरा संख्या 160/28 व 69 संयुक्त रकबा 133–13 बीघा व मौजा भांभुओं का वासके खसरा संख्या 95, 97 व 111 संयुक्त रकबा 68–17 बीघा में 1/6 हिस्सा एवं ग्राम पूंजाबेरी के खसरा संख्या 40 रकबा 75 बीघा में 1/12 हिस्सा व खसरा संख्या 25 व 26 संयुक्त रकबा 3–09 बीघा में 1/18 हिस्सा की घोषणा व प्रतिवादीगण से बाई

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

मीटस एण्ड बाउण्ड विभाजित करवाकर पृथक खाता कायम करवाने की अधिकारी है।

.....वादी

2. आया वादीनी मौजा कौजा, कुम्हारों की बेरी के अविभाजित खसरा संख्या 203, 221, 219, 220 से विभाजित खसरा संख्या 203, 203/1, 203/2, 203/3, 221/1, 221/3, 221/4 व 219 व 220 को संयुक्त कर इस आराजी के रद्दोबदल व नामान्तरण शुन्य करार देकर समस्त रकबा 161–05 बीघा में 1/6 हिस्से घोषणा की घोषणा व प्रतिवादीगण से बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजित करवाकर पृथक खाता कायम करवाने की अधिकारी है?

.....वादी

20. प्रकरण में तनकी संख्या 01, 02 को साबित करने का भार वादी पर है। प्रकरण का मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि वादी रूपोदेवी घमण्डाराम की पुत्री है अथवा नहीं। वादी के दावे का मुख्य आधार यह है कि वादी, घमण्डाराम पुत्र जोगाराम की विधिक वारिस है जबकि प्रतिवादी का मुख्य खण्डन है कि वादी, घमण्डाराम पुत्र जोगाराम की वारिस नहीं है।

21. प्रकरण में अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है–

OF THE BURDEN OF PROOF

104. Burden of proof.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations.

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

105. On whom burden of proof lies.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

106. Burden of proof as to particular fact.—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.—The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

Illustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

22. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413/2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम–1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है–

The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-

> "Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.
>
> When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."

In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....

Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.

xxx

There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.

In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :

> "29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A. Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:
>
> burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."

23. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता/प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

24. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार तथा प्रमाण का भार में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार स्थानांतरित

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

25. इस प्रकार उक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रकरण में निहित विवाद का आधार बिन्दु यह है कि वादी रूपोदेवी घमण्डाराम की पुत्री है अथवा नहीं। वादी के दावे का मुख्य आधार यह है कि वादी, घमण्डाराम पुत्र जोगाराम की विधिक वारिस है जबकि प्रतिवादी का मुख्य खण्डन है कि वादी, घमण्डाराम पुत्र जोगाराम की वारिस नहीं है। इस संबंध में उक्त तथ्य को साबित करने का भार वादी पर है। इस संबंध में वादी द्वारा अपने दावे के अभिवचन में उल्लेखित किया है कि घमण्डाराम पुत्र जोगाराम की विधिक वारिस वादी है। यहां उल्लेखनीय है कि कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है। अतः केवल दावे के अभिवचन के आधार पर ही वादी को घमण्डाराम की पुत्री होने के तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता है। वादी के दावे के उक्त अभिवचन का प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट व विशेष खण्डन किया है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त तथ्य के स्पष्ट व विशेष खण्डन की स्थिति में वादी द्वारा उक्त तथ्य को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जाना और आवश्यक हो जाता है।

26. अब प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा प्रदर्श–15 भामाशाह कार्ड प्रस्तुत किया है। उक्त भामाशाह कार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रूपोदेवी की माता का नाम जमनादेवी व पिता का नाम घमण्डाराम अंकित है। उक्त भामाशाह कार्ड राजकीय दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करते समय प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है। हालांकि उक्त दस्तावेज को साबित करने के लिए वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल स्वयं को ही बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उक्त भामाशाह कार्ड के राजकीय दस्तावेज होने के कारण उक्त दस्तावेज का साक्ष्य में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

27. इसके साथ ही प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किया है। उक्त हलफनामे में वादी ने अभिकथन किया है कि स्वर्गीय जोगाराम के छः पुत्र क्रमशः घमण्डा, बगता, पोकर, बुधरा, ठाकरा व फगलू थे। वादी स्वर्गीय घमण्डाराम की जायंदा पुत्री है। वादी के पिता घमण्डाराम का देहांत जोगाराम के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

जीवनकाल में ही हो गया था। वादी जोगाराम के पूर्वमृत पुत्र घमण्डाराम की पुत्री है तथा जोगाराम की वारिस है। इस प्रकार वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया है कि वादी ही घमण्डाराम की पुत्री है।

28. वादी के उक्त मौखिक साक्ष्य पर प्रतिवादी की जिरह/प्रतिपरीक्षण में वादी ने अभिकथन किये है कि घमण्डाराम का देहांत हुआ तब वादी पुंजाबेरी में रहती थी। घमण्डाराम फौत हुआ तब वादी की आयु दो वर्ष की थी। साथ ही जोगाराम की फौतगी के समय वादी नगर ससुराल में रहती थी। यह कहना गलत है कि घमण्डाराम ने विवाह नहीं किया हो। यह कहना गलत है कि वादी घमण्डाराम की पुत्री नहीं है। इस प्रकार वादी के उक्त मौखिक साक्ष्य पर प्रतिवादी की जिरह/प्रतिपरीक्षण के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि वादी से प्रतिवादी ने वादी के पिता की शादी के बारे में सवाल किया तो वादी ने कहा कि घमण्डाराम की शादी हुई थी। इस प्रकार वादी अपने मौखिक साक्ष्य के द्वारा इस तथ्य को साबित करने का प्रयास करती है कि वह घमण्डाराम की पुत्री है।

29. वादी के हलफनामा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी को प्रतिवादी के परिवार के बारे में पूर्ण जानकारी है। वादी द्वारा जोगाराम के परिवार की वंशावली का विवरण दिया है उसको प्रतिवादी ने स्वीकार किया है। अर्थात् वादी को प्रतिवादी के परिवार के बारे में पूर्ण जानकारी है। इसके साथ ही वादी ने जोगाराम के छः पुत्रों के मध्य पुंजाबेरी व कोजा में जमीन के वहामी विभाजन के बारे में अपने हलफनामे में अभिकथन किया है। उक्त तथ्य को भी प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि वादी के पिता घमण्डाराम की मृत्यु जोगाराम की मृत्यु से पूर्व वादी के बाल्यावस्था में ही हो गई थी। इस तथ्य को भी प्रतिवादी ने स्वीकार किया है। इस तथ्य को प्रतिवादी के गवाहों के साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में भी उल्लेखित किया गया। साथ ही वादी ने हलफनामा में अभिकथन किया है कि वादी की शादी वादी के चाचा पोकराराम व ठाकराराम ने की थी। इस संबंध में भी प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में कोई सवाल नहीं किया गया है। वादी को जोगाराम के परिवार के बारे में इतनी जानकारी होना तथा उक्त जानकारी को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन नहीं करना अपने आप में वादी को जोगाराम के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित करता है।

30. प्रकरण में दौराने वादी साक्ष्य प्रतिपरीक्षण वादी ने प्रदर्श–15 के माध्यम से अभिवचन किये है कि वादी की माता का नाम जमनादेवी व पिता का नाम घमण्डाराम था। वादी की माता का नाम, पीहर व घमण्डाराम की मृत्यु के बाद माता के अस्तित्व के बारे में प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में वादी से अपनी मां के नाम तथा मां के पीहर तथा घमण्डाराम के फौत होने पर मां के अस्तित्व के बारे में कोई सवाल ही नहीं किया। प्रतिवादी के द्वारा उक्त सवाल वादी के पति से किये गये है। यहां उल्लेखनीय है कि वादी की शादी वादी के चाचा के द्वारा किया जाना बताया गया है। इस स्थिति में वादी के पति को वादी की माता के नाम व पीहर के बारे में जानकारी नहीं होना एक सामान्य तथ्य है। इस कारण वादी उक्त प्रश्नों को अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से जवाब देने में असमर्थ रही है। प्रतिवादी को उक्त प्रश्न वादी से प्रतिपरीक्षण के समय किये जाने अपेक्षित थे। इस प्रकार वादी अपने उपर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

आरोपित घमण्डाराम की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रही है। इससे प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। अब प्रमाणन का भार प्रतिवादी पर है कि वह वादी के घमण्डाराम की पुत्री होने के तथ्य को नकारात्मक रूप से प्रमाणित करे।

31. इस संबंध में प्रतिवादी के गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रतिवादी के गवाहों के द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सभी गवाहों ने इस बात को उल्लेखित किया है कि घमण्डाराम ने शादी ही नही की तथा घमण्डाराम बाल्यावस्था में अविवाहित ही फौत हो गया था। साथ ही प्रतिवादीगणों द्वारा वादी के संबंध में कोई धार्मिक रीति रिवाज निष्पादित नहीं किये है। इससे स्पष्ट है कि वादी घमण्डाराम की पुत्री नहीं है। परंतु प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं किया है कि रूपादेवी अगर घमण्डाराम की पुत्री नहीं है तो रूपादेवी असल में किसकी पुत्री है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।

32. इस प्रकार उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वादी को जोगाराम के परिवार के बारे में इतनी जानकारी होना तथा उक्त जानकारी को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन नहीं करना अपने आप में वादी को जोगाराम के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित करता है। साथ ही वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–15 भामाशाह कार्ड एक सार्वजनिक/राजकीय दस्तावेज होने के कारण मजबूत साक्ष्य प्रतीत होता है। इस प्रकार दस्तावेजीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादी अपने उपर आरोपित घमण्डाराम की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रही है। इससे अब प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं किया है कि रूपादेवी अगर घमण्डाराम की पुत्री नहीं है तो रूपादेवी असल में किसकी पुत्री है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित घमण्डाराम की पुत्री होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित करने में सफल रही है। इस प्रकार वादी को घमण्डाराम की ही पुत्री माना जाना उचित प्रतीत होता है।

33. उक्त प्रकार से अब प्रकरण में वादी को घमण्डाराम की पुत्री माने जाने के पश्चात प्रकरण का विधिक आधारों पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। प्रकरण में उक्त तनकी संख्या 01, 02 सारतः हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

8. General rules of succession in the case of males.—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:—
(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;
(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;
(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and
(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.

34. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अनुसार सर्वप्रथम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–1 के अनुसार दर्ज किये जाने के प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग के अन्तर्गत वारिसों के मध्य संपत्ति की विरासत के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 के तहत प्रावधान बनाये गये है। प्रकरण में अपीलार्थी हिन्दू मृतक के वारिस अभिकथित किये जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

9. Order of succession among heirs in the Schedule.—*Among the heirs specified in the Schedule, those in class I shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs; those in the first entry in class II shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.*

10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule. *—The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules: —*
Rule 1.—The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.
Rule 2.—The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.
Rule 3.—The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.
Rule 4.—The distribution of the share referred to in Rule 3—
(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters get equal portions; and the branch of his pre-deceased sons gets the same portion;

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.

35. उक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के सभी वारिस एक साथ तथा एक समान भाग प्राप्त करते है। किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार अगर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिस उपलब्ध नहीं होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–02 के वारिसों में सर्वप्रथम प्रथम प्रविष्टि के वारिसों के नाम विरासत दर्ज करने के प्रावधान है। किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन के सामान्य नियम व निर्देश दिये गये है।

36. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

THE SCHEDULE (See section 8)
HEIRS IN CLASS I AND CLASS II

Class I

Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a pre-deceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son.

37. प्रथम श्रेणी के वारिसों को निम्न सारणी अनुसार समझा जा सकता है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

Married Male - Hindu, Budhist, Jain, Sikh (Class I Heirs)

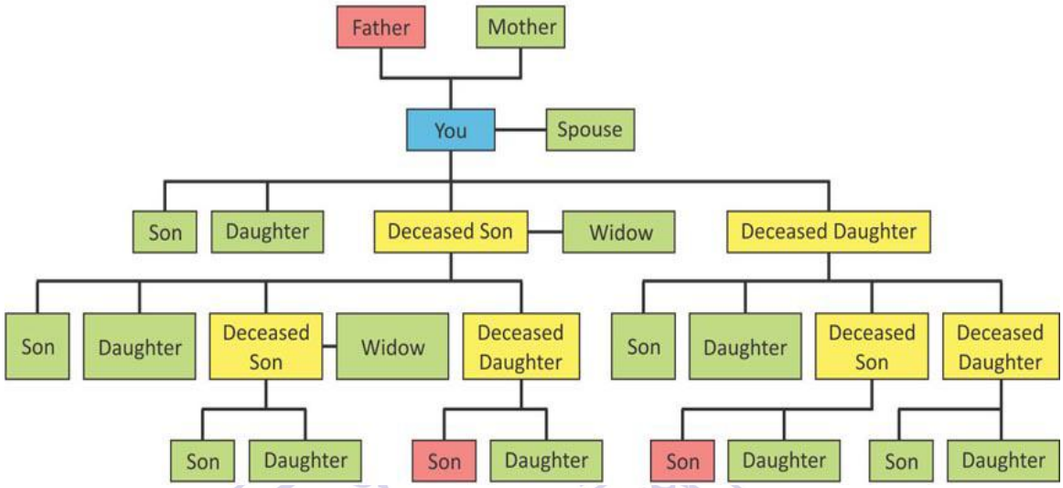

38. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों में मृतक हिन्दू पुरूष के असल पुत्र, पुत्रीयों, पत्नी तथा माता को भी एक समान भाग प्राप्त होने के प्रावधान है।

39. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि जोगाराम के 06 पुत्र रहे है। जिनमें घमण्डाराम भी जोगाराम का विधिक पुत्र निर्विवादित है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यायगमन के आधार पर जोगाराम की संपत्ति में घमण्डाराम का 1/6 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार प्रकरण में वादी अपने पिता घमण्डाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है जबकि प्रतिवादी घमण्डाराम के भाईयों के वारिस होने के आधार पर द्वितीय श्रेणी के वारिस है। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन होने की स्थिति मेंघमण्डाराम के द्वितीय श्रेणी के वारिसों से पूर्णरूप से निरपेक्ष रहते हुए घमण्डाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस वादी को ही घमण्डाराम का उक्त संपत्ति में 1/6 हिस्सा वादी के उपर न्यागत होना विधिसंगत है। अतः वादी के पिता घमण्डाराम की सम्पत्ति में वादी के एकल हित व अधिकार निहित हैं।

40. प्रकरण में वादी रूपादेवी अपने पिता घमण्डाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है जबकि प्रतिवादीगण घमण्डाराम के द्वितीय श्रेणी के वारिस है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा घमण्डाराम की विरासत वादी रूपोदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिस होकर उपस्थित होने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के विपरीत दर्ज की है। इस आधार पर मुतनाजा आराजी पर घमण्डाराम पुत्र जोगाराम के 1/6 हिस्से पर वादी के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार निहित है। यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के तहत किसी काश्तकार के पूर्व से ही निहित अधिकारों की घोषणा करने हेतु प्रावधान बनाए गए है। एक प्रकार से खातेदारी अधिकारों की घोषणा किसी प्रकार के अधिकारों का नवसृजन नहीं है। बल्कि संबंधित काश्तकार के प्रश्नगत आराजी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के तहत या अन्य प्रभावी कानून के तहत प्रदत्त एवं पूर्व से ही निहित अधिकारों का प्रस्फुटन/उद्घोषणा मात्र है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 व 02 को साबित करने में वादी सफल रहा है।

41. प्रकरण में तनकी संख्या 01 व 02 मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात मुतनाजा आराजी में वादी के घोषित हिस्से के विभाजन से संबंधित है। इस संबंध में प्रथम व द्वितीय तनकी के वादी के पक्ष में स्वीकार किए जाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्सों में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इस पर मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात मुतनाजा आराजी में वादी के घोषित हिस्से के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण उक्त संयुक्त आराजी में संयुक्त खातेदार है। इस कारण वादी के मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात मुतनाजा आराजी में वादी के घोषित हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के पश्चात संशोधित हिस्से अनुसार वादी अपने निर्धारित हिस्से का विभाजन करवाए जाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा मौजा कुम्हारों की बेरी व कोजा तहसील धोरीमना के खसरों को विभाजित करवाया गया है। चूंकि उक्त विभाजन में वादी पक्षकार नहीं था। इस कारण उक्त विभाजन में वादी का पक्ष बिना सुने विभाजन किये जाने से उक्त विभाजन वादी पर प्रभावी नहीं होता है। इस कारण उक्त पूर्व के विभाजन को निरस्त किया जाना एवं वादी को पुनः सुना जाकर विधिवत विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में स्वीकार की जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

42. इस संबंध में तनकी संख्या 04 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 04 निम्न प्रकार हैः–

> 4. *आया प्रतिवादी, वादीनी रूपोदेवी स्व जोगाराम के पुत्र घमण्डा की जाईन्दा पुत्री नहीं है। घमण्डा ला–औलाद फौत हुआ था। वादीनी जोगाराम की उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उक्त वादग्रस्त आराजी में खातेदारी पाने की अधिकारी नहीं होने से वाद खारिज करवाने के अधिकारी है?*
>
> .....*प्रतिवादी संख्या 02 ता 05*

43. प्रकरण में तनकी संख्या 04 को साबित करने का भार प्रतिवादी के उपर है। उक्त तनकी पर प्रतिवादी को साबित करना है कि वादी रूपादेवी घमण्डाराम की पुत्री नहीं है। वादी रूपादेवी के घमण्डाराम की पुत्री नहीं होने के तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादी के उपर है। इस संबंध में प्रतिवादी पर प्रमाणन का भार है कि रूपादेवी घमण्डाराम की पुत्री नहीं है। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं किया है कि रूपादेवी अगर घमण्डाराम की पुत्री नहीं है तो रूपादेवी असल में किसकी पुत्री है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी पूर्णतः असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।

44. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रकरण में तनकी संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में निर्णित की गई है। उक्त तनकीयों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वादी को जोगाराम के परिवार के बारे में गहराई से जानकारी होना तथा उक्त जानकारी को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन नहीं करना अपने आप में वादी को जोगाराम के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित करता है। साथ ही वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–15 भामाशाह कार्ड एक सार्वजनिक/राजकीय दस्तावेज होने के कारण मजबूत साक्ष्य प्रतीत होता है। इस प्रकार दस्तावेजीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादी अपने उपर आरोपित घमण्डाराम की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रही है। इस प्रकार प्रतिवादी अपने उपर आरोपित रूपादेवी के घमण्डाराम की पुत्री नहीं होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार वादी को घमण्डाराम की ही पुत्री माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस कारण तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

45. प्रकरण में अब तनकी संख्या 03 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 03 निम्न प्रकार हैः–

> 3. आया वादीनी उक्त वादग्रस्त खसरों की भूमि में इसी प्रकार मौके पर कब्जा–काश्त व हिस्से अनुसार वाद घोषणा व विभाजन विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।
>
> .....वादी

46. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 03 स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रकरण में उक्त तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
>
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

47. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

48. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकी संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

49. प्रकरण में प्रतिवादी का एक आक्षेप है कि मौजा कोजा व कुम्हारों की बेरी तहसील धोरीमना में अवस्थित आराजी के बारे में सुनवाई का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नहीं है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–17 का अवलोकन प्रासंगिक है। उक्त सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–17 का उद्धरण निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

17. Suits for immovable property situate within jurisdiction of different Courts.—
Where a suit is to obtain relief respecting, or compensation for wrong to, immovable property situate within the jurisdiction of different Courts, the suit may be instituted in any Court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situate :

Provided that, in respect of the value of the subject-matter of the suit, the entire claim is cognizable by such Court.

50. प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–17 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अगर कोई अचल संपत्ति अनेक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है तो उस स्थिति में किसी भी क्षेत्राधिकार वाले एक न्यायालय में दावा चलाया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में मुतनाजा आराजी तहसील धोरीमना व तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। तहसील धोरीमना के प्रकरणों को सुनने का क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर धोरीमना को है। जबकि तहसील गुड़ामालानी के प्रकरणों को सुनने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को है। मुतनाजा आराजी दोनो तहसीलों में अवस्थित होने तथा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–17 के तहत हाजा न्यायालय को सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार स्पष्ट है। इस कारण प्रतिवादी का उक्त आक्षेप सारहीन है।

51. निष्कर्षतः प्रकरण में प्रकरण में वादी अपने पिता घमण्डाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यायगमन के आधार पर जोगाराम की संपत्ति में घमण्डाराम का 1/6 हिस्सा निहित है। इस कारण मौजा पुंजाबेरी के खसरा संख्या 40 रकबा 75 बीघा में वादी को 1/12 हिस्से तथा मौजा पुंजाबेर के खसरा संख्या 25 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 26 रकबा 02–10 बीघा कुल रकबा 03–09 बीघा में वादी को 1/18 हिस्से तथा मौजा कोजा के खसरा संख्या 203, 221, 219, 220 हाल मौजा कुम्हारों की बेरी तहसील धोरीमना रकबा 161–05 बीघा में वादी को 1/06 हिस्से तथा खसरा संख्या 160/28, 69 मौजा पुंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी रकबा 133–13 बीघा तथा खसरा संख्या 95, 97, 111 रकबा 68–17 बीघा मौजा पुंजाबेरी में वादी को 1/6 हिस्से की घोषणा करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार वादी के मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात मुतनाजा आराजी में वादी के घोषित हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के पश्चात संशोधित हिस्से अनुसार वादी अपने निर्धारित हिस्से का विभाजन करवाए जाने के अधिकारी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक, तकासमा मंजूर किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि मौजा पुंजाबेरी के खसरा संख्या 40 रकबा 75 बीघा में वादी को 1/12 हिस्से तथा मौजा पुंजाबेरी के खसरा संख्या 25 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 26 रकबा 02–10 बीघा कुल रकबा 03–09 बीघा में वादी को 1/18 हिस्से तथा मौजा कोजा के खसरा संख्या 203, 221, 219, 220 हाल मौजा कुम्हारों की बेरी तहसील धोरीमना रकबा 161–05 बीघा में वादी को 1/6 हिस्से तथा खसरा संख्या 160/28, 69 मौजा पुंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी रकबा 133–13 बीघा तथा खसरा संख्या 95, 97, 111 रकबा 68–17 बीघा मौजा पुंजाबेरी/भांभुओं का वास में वादी को 1/6 हिस्से की घोषणा करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार वादी के मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात मुतनाजा आराजी में वादी के घोषित हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के पश्चात संशोधित हिस्से अनुसार वादी अपने निर्धारित हिस्से का विभाजन करवाए जाने के अधिकारी घोषित किया जाता है। इसी प्रकार वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं संयुक्त मुतनाजा आराजी में वादी का उक्त प्रकरण में घोषित हिस्सा अनुसार खाता विभाजन विधिक प्रावधान के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी (बाई मीट एण्ड बाउण्डस् के तहत) आराजी का सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम करते हुए अलग खाता कायम किये जाने बाबत पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात–रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत के आदेश संबंधित तहसीलदार को दिये जाते हैं।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

आज 30.03.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2011/00023(95/2011) दर्ज तिथिः–29.04.2011

1. रूपादेवी पुत्री घमण्डाराम पत्नी नारणाराम
   जाति विश्नोई निवासी कोजा हाल निवासी देशान्तरी नाडी नगर तहसील गुड़ामालानी
   .....वादी

बनाम

1. वगताराम पुत्र जोगाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 हेमा पुत्र वगता फौत के कायम मुकाम
   1/1/1 खिवणी पत्नी हेमा
   1/2 हरीराम पुत्र वगता
   1/3 लाछी पत्नी वगता
2. बुधराराम पुत्र जोगाराम फौत के कायम मुकाम
   2/1 लाधूराम पुत्र बुधराराम
   2/2 मु. सोनी पत्नी बुधराराम
3. पोकराराम पुत्र जोगाराम फौत के वारीसान
   3/1 सदराम पुत्र पोकरराम फौत के वारीसान
   3/1/1 किशनाराम पुत्र सदराम
   3/1/2 भागीरथ पुत्र सदराम
   3/1/3 जैकनराम पुत्र सदराम
   3/1/4 बबरी पत्नी सदराम
   3/2 रूगनाथराम पुत्र पोकराराम
   3/3 जगमालराम पुत्र पोकराराम
   3/4 नैनाराम पुत्र पोकराराम
4. फगलूराम पुत्र जोगाराम
5. ठाकराराम पुत्र जोगाराम फौत के वारिसान
   5/1 सुखराम पुत्र ठाकराराम
   5/2 जगमालराम पुत्र ठाकराराम
   5/3 भाखराराम पुत्र ठाकराराम
   5/4 मंगलाराम पुत्र ठाकराराम
   5/5 मु. चंपा बेवा ठाकराराम
6. प्रहलादराम पुत्र उम्मेदाराम
7. तेजाराम पुत्र नारणाराम
8. हीराराम पुत्र नारणाराम
9. मोटाराम पुत्र नारणाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

10. सोनाराम पुत्र हुकमाराम
11. धन्नाराम पुत्र हुकमाराम
12. मोटाराम पुत्र हुकमाराम
13. सुरताराम पुत्र हुकमाराम
14. जोधाराम पुत्र हुकमाराम
15. जगमलाराम पुत्र हुकमाराम
16. लाधूराम पुत्र हुकमाराम
17. मु. पार्वती बेवा हुकमाराम
18. सुरताराम पुत्र पोकराराम
19. गोरधनराम पुत्र पोकराराम
20. हरीराम पुत्र पोकराराम
21. देवाराम पुत्र पोकराराम
22. साजनराम पुत्र पोकराराम
23. केसाराम पुत्र पोकराराम
24. हेमाराम पुत्र हरजीराम
25. हरीराम पुत्र भारमलराम
26. किशनाराम पुत्र भारमलराम
27. प्रभूराम पुत्र भारमलराम
28. भाखराराम पुत्र भारमलराम
29. मु. लाछी बेवा भारमलराम
    जातियान विश्नोई निवासी कुम्हारो की बेरी व पूजाबेरी तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

30. शाखा प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 शाखा भूणिया तहसील चौहटन
31. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीः—श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक, तकासमा मंजूर किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि मौजा पुंजाबेरी के खसरा संख्या 40 रकबा 75 बीघा में वादी को 1/12 हिस्से तथा मौजा पुंजाबेरी के खसरा संख्या 25 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 26 रकबा 02—10 बीघा कुल रकबा 03—09 बीघा में वादी को 1/18 हिस्से तथा मौजा कोजा के खसरा संख्या 203, 221, 219, 220 हाल मौजा कुम्हारों की बेरी तहसील धोरीमना रकबा 161—05 बीघा में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

वादी को 1/6 हिस्से तथा खसरा संख्या 160/28, 69 मौजा पुंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी रकबा 133–13 बीघा तथा खसरा संख्या 95, 97, 111 रकबा 68–17 बीघा मौजा पुंजाबेरी/भांभुओं का वास में वादी को 1/6 हिस्से की घोषणा करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार वादी के मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात मुतनाजा आराजी में वादी के घोषित हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के पश्चात संशोधित हिस्से अनुसार वादी अपने निर्धारित हिस्से का विभाजन करवाए जाने के अधिकारी घोषित किया जाता है। इसी प्रकार वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं संयुक्त मुतनाजा आराजी में वादी का उक्त प्रकरण में घोषित हिस्सा अनुसार खाता विभाजन विधिक प्रावधान के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी (बाई मीट एण्ड बाउण्डस् के तहत) आराजी का सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम करते हुए अलग खाता कायम किये जाने बाबत पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात–रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत के आदेश संबंधित तहसीलदार को दिये जाते हैं।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु संबंधित को तहरीर जारी की जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested